सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 14, मंगलवार, *शाके 1946*- नवम्बर 05, *2024*	
Kartika 14, Tuesday, Saka 1946- November 05, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, सितम्बर 02, 2024

संख्या प. 2(51)वन/2024 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार हैः-

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती हैः

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 26 की उप-धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,14,17,18,19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसारण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में

प्रकाषित होने की तारीख से आरक्षित किए जाते है और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु-पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना, साफ किया जाना निषिध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. स.	नाम ब्लाॅक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
1	2	3	4	5	6		
1	सज्जनगढ़-ए	बड़गांव	उदयपुर	उत्तर राजस्व भूमि ग्राम उपली बड़ी पूर्वः राजस्व भूमि ग्राम उपली बड़ी दक्षिणः वनखण्ड सज्जनगढ़ पष्चिमः वनखण्ड सज्जनगढ़	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षैत्रफल (हैक्टेयर)
					उपली बड़ी	3150/547	3.1500
					उपली बड़ी	548	1.3000
					उपली बड़ी	2186	50.3500
						कुल क्षेत्रफल	54.8000

(देवेन्द्र कुमार तिवाड़ी)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, उदयपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अभयारण्य सज्जनगढ़
उदयपुर (राज.)

द्वितीय अनुसूची

पेडो की सुची

संख्या	बोटोनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Anogeissus pendula	धोंक
2	Azadirachta indica	नीम
3	Acacia senegal	कुमठा
4	Acacia leucophloea	रोंझ
5	Albizzia odoratissima	काला सिरिस
6	Ziziphus mauritiana	बैर
7	Boswellia serreta	सालर
8	Holoptelia integriolia	चुरेल
9	Lannea grandis	गोदल
10	Dichrostachys cinerea	गोया खैर
11	Acacia nilotica	बबूल

(देवेन्द्र कुमार तिवाड़ी)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, उदयपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अभयारण्य सज्जनगढ़
उदयपुर (राज.)

परिशिष्ठ 'क'

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर द्वारा प्रमाण-पत्र

वनखण्डः सज्जनगढ़-ए

रेंजः सज्जनगढ़ (वन्यजीव)

वन मण्डलः उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर

1. जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेष क्रमांक प.39/1(6)राज/हस्तां./05/ 4889-96 दिनांक 25.09.2006 से 54.5800 हैक्टेयर तथा आदेष क्रमांक 505-12 दिनांक 22.01.2007 से 8 हैक्टेयर कुल 62.5800 हैक्टेयर इस कार्यालय को आवंटित की गई है। परन्तु आवंटित भूमि एवं वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि में निम्नानुसार अन्तर है:-

ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खसरा का कुल क्षेत्रफल	जिला कलक्टर, उदयपुर के द्वारा आंवटित भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अमलदरामद भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
उपली बड़ी	3150/547	3.7000	3.1500	3.1500
उपली बड़ी	548	1.3000	0.7600	1.3000
उपली बड़ी	2186	50.3500	48.7050	50.3500
बड़ी	3152/2835	15.2500	1.9650	1.9650
बड़ी	3145/2835		8.0000	8.000
			62.5800	64.7650

उक्त सारणी के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि 62.5800 हैक्टेयर की एवज में 64.7650 हैक्टेयर वन विभाग के नाम अमलदरामद हो चुकी है। जिसके कारण से 64.7650 हैक्टेयर वन भूमि के प्रस्ताव तैयार किये गये है।

2. उक्त 64.7650 हैक्टेयर भूमि दो टूकडों में इस कार्यालय को प्राप्त हुई है जिसके कारण से दो रक्षित वनखण्ड प्रस्तावित किये गये है जो क्रमशः सज्जनगढ - ए (54.8000 हैक्टेयर) एवं सज्जनगढ - बी (9.9650 हैक्टेयर)।
3. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों के वन भूमि दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य कराया गया है तथा शेष इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि पर पक्की दीवार निर्मित है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.4 से 0.5 है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों में कुमठा, नीम, बबूल, बेल, सालर व अन्य झाड़ियां है।
5. वन भूमि के चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कालम संख्या-5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्ड का वांछित मानचित्र (नक्शा) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को G.T.Sheet पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षेत्र की विज्ञप्ति के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहें हैं किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्र को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है जिससे की इस भूमि पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

(देवेन्द्र कुमार तिवाड़ी)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, उदयपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अभयारण्य सज्जनगढ़
उदयपुर (राज.)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।